न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 13A/2015

उनवान

1. श्री अमरजी पिता स्व. मोडाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
2. श्री देवजी पिता स्व मोडाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
3. श्रीमती गंगा पत्नि स्व. मोडाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री धुला पिता धन्नाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
2. श्रीमती नाथी पुत्री पूंजाजी पत्नि नानजी डांगी हाल निवासी किकोडिया, तह. सलूम्बर जिला उदयपुर।
3. श्री रूपा पिता खेमा दादा पूंजा डांगी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
4. श्रीमती गंगा बेवा खेमाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
5. श्री पेमा पिता वालाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
6. श्रीमती दलु बेवा वालाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
7. श्री अमरा पिता मन्नाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
8. श्री पूंजा पिता गोतमाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
9. श्री गोकुल पिता गोतमाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
10. श्रीमती गलाल पत्नि गोतमाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
11. श्री मोडा पिता लालुजी दादा हरकाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

12. श्री पेमु पिता लालुजी दादा हरकाजी डांगी निवासी टाडा, बडावली तहसील सेमारी जिला उदयपुर।
13. श्रीमान भूमीधारी तहसीलदार साहब सेमारी, जिला उदयपुर
14. श्रीमान प्रबन्धक महोदय, एसबीबीजे शाखा सलूम्बर।

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए व आदेश 39 नियम 1,2 जा.दी.

::: निर्णय :::

दिनांकः 16.01.2020

उपस्थितिः—

1. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए एवं **आदेश 39 नियम 1,2 जा.दी.**के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा सजरे अनुसार गौताम मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र गांगा, हरका, माना थे माना के कोई सन्तान नहीं होने के कारण लालू पिता धन्ना को गोद लिया जो लाओलाद फौत हुआ। जिसके लालू के तीन भाई धूला, पूंजा, मना बिना किसी अधिकार व कानून के अवेद्य रूप से वारिस बने। विवाद ग्रस्त भूमि मोजा टाडा बडावली खाता सं. 50 कुल किता 10 रकबा 48 बीघा 05 बिस्वा में खातेदार देवा पिता हिरा का 1/2 तथा गांगा, हरका माना पिता गोतमा का 1/2 हिस्सा बराबर था। जिसके हाल सेटलमेंट में बने नम्बर में प्रार्थीगण के दादा धूला के नाम 1/2 दर्ज चली आ रही आराजी को गलत रूप से हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया एवं विपक्षी सं. 01 लगायत 07 के पूर्वजों के नाम गलत रूप से 1/6 की बजाय 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जिसकी विपक्षीगण सं. 1 से 7 तारीख 01.02.2015 को प्रार्थीगण के हिस्से में आई 1/2 हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की नियत से धमकी दी एवं लडाई झगडा

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला—उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

करने पर उतारू हुए इसलिए प्रार्थीगण को यह अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना पडा।

प्रार्थी ने प्रार्थना कि वादग्रस्त आराजी मौजा टाडा बडावली तहसील सेमारी की साबिक आराजी से बने हाल आराजी संख्या खाता सं. 271 संवत 2071–74 कुल किता 30 रकबा 10.14 हेक्टेयर वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे व दौराने वाद विपक्षीगण किसी प्रकार का रहन बेचान नहीं करे, निर्माण ना करें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.01.2016 को विपक्षीगण सं. 01 से 06 व 08 से 14 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा दिनांक 12.01. 2018 को विपक्षी सं. 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.01.2020 को एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अतः प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि मौजा टाडा बडावली तहसील सेमारी खाता सं. नया 271 संवत् 2071–74 कुल किता 30 कुल रकबा 10.14 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी पर मौके की यथास्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द्र धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा (उदयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

APP.A
Crim-I

FORM No III

(नियम 26)

फर्द अहकाम

[अदा]लत उपखण्ड अधिकारी सराड़ा

उमरा बनाम मोज़ा

[मु]कदमा प्रा. पत्र पत्रावली नं. 13/2015 सन्

हुक्म या कार्यवाही/मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/1/20 पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी उप./पत्रा. में विपक्षीगण के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश हो चुके हैं। आज भी विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय से पृथक लिखा जाकर था. पत्रावली फैसल किया गया। पत्रा. को मूल वाद के साथ संलग्न किया जावे।	
उपखण्ड अधिकारी सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)	

Scanned by CamScanner